जल संसाधन विभाग,
बिहार, पटना

प्रेस विज्ञप्ति

बिहार तकनीकी सेवा आयोग के विज्ञापन संख्या–01/2019 के अंतर्गत कनीय अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक/विद्युत) के पद पर चयनित एवं जल संसाधन विभाग को आवंटित किये जाने के क्रम में बिहार तकनीकी सेवा आयोग के पत्र संख्या–22/23/24 दिनांक–01.01.2025 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में जल संसाधन विभाग में कनीय अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक/विद्युत) के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन (Certificate Verification/Counselling) कार्यक्रम दिनांक–14.01.2025 से 19.01.2025 तक दो पालियों में आयोजित किया गया। उक्त कार्यक्रम में अनुपस्थित रहे कुल 228 अभ्यर्थियों को पुनः एक अवसर प्रदान करते हुए **दिनांक 24.01.2025 को 10:00 बजे पूर्वाह्न से 6:00 बजे अपराह्न तक** जल संसाधन विभाग के प्रबंधन कोषांग में शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन (Certificate Verification/Counselling) कार्यक्रम निर्धारित किया गया है।

एतद् द्वारा संबंधित सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अपने प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए निर्धारित तिथि एवं समय के अनुसार निम्नलिखित प्रमाण पत्र/अभिलेख के साथ उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें :–

1. पहचान हेतु आधार कार्ड/निर्वाचन पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस या अन्य फोटोयुक्त पहचान पत्र एवं संख्या
2. पूर्ण रूप से भरा हुआ सत्यापन प्रपत्र (दो प्रतियों में)। **(विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है)**
3. मैट्रिक उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र ।
4. Diploma in Engineering का मूल प्रमाण पत्र।
5. Diploma in Engineering का सभी वर्षों/semester का मूल अंक पत्र ।
6. **अनुभव प्रमाण पत्र, जो आयोग में समर्पित किया गया है** (बिहार राज्य में अवस्थित किसी विभाग/संस्थान/ उपक्रम/निगम/निकाय/प्राधिकार/स्वशासी निकाय में संविदा के आधार पर कनीय अभियंता (असैनिक/यॉंत्रिक/विद्युत) के पद पर कार्य करने का अनुभव रखने वाले अभ्यर्थियों के लिये)
7. अन्य उच्चतर शैक्षणिक योग्यता से संबंधित मूल प्रमाण पत्र जो आवेदन पत्र के साथ संलग्न किया गया हो ।

8. अगर नियोजित/सरकारी/अर्ध सरकारी संस्थान में कार्यरत हो तो नियोक्ता द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत विरमन पत्र/सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकृत त्याग पत्र।
9. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) ।
10. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र । (आरक्षित कोटि के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए) (मूल प्रति में) ।
11. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र । (पिछड़ा/अत्यन्त पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थिंयों के लिए मूल प्रति में) ।
12. सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र।
13. चरित्र प्रमाण पत्र (**संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा निर्गत एवं छः माह से पूर्व का नही हो।)**
14. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत दिव्यांगता संबंधी प्रमाण पत्र (दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए मूल प्रति में) ।
15. सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत स्वतंत्रता सेनानी के (नाती/नतिनी/पोता/पोती) संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) ।
16. सिविल सर्जन द्वारा निर्गत अद्यतन स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र (मूल प्रति में) ।
17. अनुमंडल पदाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा निर्गत विहित प्रपत्र में इस आशय का शपथ पत्र कि सभी प्रमाण पत्र सही है तथा आपके विरूद्ध थाना में अथवा न्यायालय में कोई वाद दर्ज नही है एवं आपका आचरण प्रतिकूल नही है । शपथ पत्र का विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है ।
18. तिलक–दहेज नही लेने एवं नही देने संबंधी शपथ पत्र (मूल प्रति में) ।
19. जिन अभ्यर्थियों के द्वारा कार्यानुभव का दावा किया गया हो, उन अभ्यर्थियों को किये गये कार्यानुभव की सम्पूर्ण अवधि का नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत वेतन /मानदेय/पारिश्रमिक भुगतान प्रमाण पत्र।
20. नवीनतम 'पासपोर्ट साईज का 04 (चार) रंगीन फोटोग्राफ (फोटो के पीछे नाम एवं Samekit Serial no. लिखना सुनिश्चित करें)।
21. बायोडाटा विहित प्रपत्र में।

उपरोक्त कंडिका–1 से 19 तक में अंकित प्रमाण पत्रों/सभी अभिलेखों की स्व–अभिप्रमाणित छाया प्रतियाँ दो सेट में ।

<u>नोट :– सत्यापन संबंधित समस्त कार्यक्रम एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाइट **https://wrd.bihar.gov.in** से डाउनलोड किया जा सकता है।</u>

<u>नोट :– विभाग द्वारा दिनांक– 24.01.2025 को निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य संगत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का सत्यापन (Certificate Verification/Counselling) में अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों के नियमित नियुक्ति हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने के बिन्दु पर विभाग एकपक्षीय</u>

निर्णय लेने हेतु स्वतंत्र है। साथ ही भविष्य में अभ्यर्थिता से संबंधित किसी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा।

21/01/25

(गुंजन कुमार)
अवर सचिव (प्रबंधन)

ज्ञापांक–12/स्था०–01–01/2025– 268 पटना/दिनांक– 21.01.2025

प्रतिलिपि– जन सम्पर्क पदाधिकारी, जल संसाधन, विभाग बिहार, पटना सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. अनुरोध है कि उक्त आवश्यक सूचना देश एवं राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में लगातार दो दिनों तक प्रकाशित कराने की कृपा की जाय।

21/01/25

अवर सचिव (प्रबंधन)